

आवेदन

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।

विषय:— वाहन निबंधन संख्या रद्द करने के संबंध में।

महाशय

निवेदन करना है कि पटना शहर में आई बाढ़ के कारण मेरे वाहन के पानी में डूबने की वजह से स्थायी रूप से इस लायक नहीं रह गया है कि उसका उपयोग किया जा सके। मेरे वाहन की जाँच कराते हुए समाधान की जाय। जिससे उसकी समुचित मरम्मत की जा सके अथवा वाहन ऐसी हालत में हो जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सके एवं इसके लिए योग्य नहीं हो यथा मरम्मती नहीं हो सके तो निबंधन रद्द करने हेतु कार्रवाई की जाय।

1. आवेदक का नाम:—.....

2. वर्तमान पता:—.....

3. वाहन जहाँ सुरक्षित रखा गया है:—.....

4. वाहन का विवरण:—

(क). वाहन निबंधन संख्या—.....

(ख). चेसीस नं०—.....

(ग). ईंजन नं०—.....

(घ). मेक—.....

(ड). वाहन का प्रकार—.....

(व). वाहन का वर्ग—.....

(छ). वाहन का मॉडल/वर्ष—.....

5. निबंधन का कागज (मूल)—.....

6. इश्योरेंस का कागज—.....

7. फिटनेस प्रमाण पत्र (व्यावसायिक की स्थिति में)—.....

8. शुल्क (निरीक्षण एवं रद्दीकरण)—.....

9. कर की स्थिति—.....

10. पहचान पत्र—.....

उपरोक्त अंकित कथन सत्य है एवं मोटर वाहन नियम/नियमावली के अधिन सत्य है।

तिथि—

स्थान—

वाहन स्वामी का हस्ताक्षर

धारा—55 एवं नियम—51

In my opinion, the vehicle described above, fails to comply with provisions of the Act and Rule made their under, because of the following defects/damages-----

Date—

Place—

Signature, Designation of the authority (MVI)

To,

The Registering Authority

Patna.

Signature, Designation of the authority (MVI)